ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 **प्रस्तावना:-**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे|

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति कमलेश कुमारी	23/01/2011 से 22/01/2016
2	श्रीमति सरोज कुमारी	23/01/2016 सेलगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप कुमार	01/04/2013 से लगातार

(ख)_गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दरीण के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि
1	पैरा 7	वितीय स्थिती के अंत शेष में दर्शाई गयी Food coupen की राशि के बारे	19118
2	पैरा 11	मूल बिल तथा रसीद अभिलेख में उपलब्ध न होना	50700
3	पैरा 12	अनुदान का उपयोग न करना	1401762
4	पैरा 15	Assessment के बिना भुगतान करना	195648

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दरीण , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार , कानिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23/06/2016 से 27/06/2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	8/2013
2014-15	3/2015	11/2014
2015-16	3/2016	6/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दरीण , विकास खण्ड देहरा , जिला काँगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139/2016 दिनांक 27/06/2016 द्वारा अनुरोध किया गया|

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दरीण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :-ग्राम पंचायत दरीण के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वितीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2013-14	140762.25	63887	204649.25	24814	179835.25
2014-15	179835.25	61620	241455.25	41019	200436.25
2015-16	200436.25	93413	293849.25	53759	240090.25

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत दरीण के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	1056739	1855359	2912098	1959088	953010
2014-15	953010	2777432	3730442	2278228	1452214
2015-16	1452214	1804507	3256721	1854959	1401762

बैंक समाधान विवरणी :-

ग्राम पंचायत दरीण की रोकड़ वही तथा बैंक जमा में दिनांक 31-03-2016 को रु50000 का अंतर था, जिसकी बैंक समाधान विवरणी परिशिष्ट 2 पर संलग्न है|

1	रोकड़ वही खाता क पैरा 4(2) का अन्तशेष	240090.25
2	रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	1401762.00
	योग	1641852.25

5

5.1 <u>अन्तशेष का विवरण;-</u> दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था|

क्र संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	एच जी बी भरोली	88090100048071	169915.00
2	एच जी बी भरोली	88090100048062	124930.00
3	एच जी बी भरोली	88091700047116	0
4	एच जी बी देहरा	87861701832177	0
5	एच जी बी भरोली	88090100020109	132147.40

6	एच जी बी भरोली	88090100048947	454.00
7	एच जी बी भरोली	88090100048983	152640.00
8	एच जी बी भरोली	88090100048929	79835.00
9	एच जी बी भरोली	88090100048974	24780.00
10	एच जी बी भरोली	88090100048910	113306.00
11	एच जी बी भरोली	88090100048956	14164.20
12	एच जी बी भरोली	88090100048992	4327.00
13	के सि सि बी देहरा	20008005717	843077.00
14	डाकघर गंगरूही	2440405	12731.25
	योग		1672306.85
	हस्तगत राशि		427.40
	Foodcoupen		19118
	कुल योग		1691852.25

अंतर 1691852.25-1641852.25=50000 रूपये

6 बचत खाते पर डाकघर द्वारा ब्याज न देना ;-

डाकघर गंगरूही के बचत खाता संख्या 2440405 में मास 3/2005 को 12731.25रुपये जमा थे तथा यह खाता जो उस समय कार्यरत प्रधान थे उनके नाम से खोला गया था परन्तु बचत खाते पर डाकघर द्वारा मास 3/2005 के पश्चात कोई भी ब्याज नहीं लगाया गया और न ही खाते से कोई भी आहरण किया गया| जबकि बचत खाता नियमानुसार ग्राम पंचायत दरीण के नाम खोला जाना था| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति सपष्ट करते हुए राशि ग्राम पंचायत/खाते में जमा/हस्तांतरित करनी सुनिश्चित की जाए|

7 वितीय स्थिती के अंत शेष में दर्शाई गयी Food Food Coupen coupenके रूप में 19118 की राशि के बारे:-

ग्राम पंचायत दरीण द्वारा 19118 रुपये के FOODCOUP FoodFood Coupen जो कि मजदूरों को काम के बदले अनाज के रूप में मजदूरी अदा की जानी थी के लिए प्राप्त किये गये तथा इन कूपनों को रोकड़ वहि में आय पक्ष में दर्ज किया गया तथा इसकी रसीद जारी की गयी| मास 4/2013 को ग्राम पंचायत द्वारा इसे रोकड़ वही के आरम्भिक शेष में दर्शाया गया है| अब जबकि यह योजना सरकार द्वारा काफी समय पूर्व बंद कर दी गयी है और न ही ग्राम पंचायत को इन कूपनों के बदले में अनाज मिलने की कोई सम्भावना है तो इन कूपनों को रखने का कोई भी औचित्य नहीं है| अत: इन कूपनों को सरकार को वापिस किया जाए|

8 iziiप्राप्त अनुदानों की राशि से ₹155 का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत दरीण द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार प्रतिभूति बिजली मीटर में दिनांक 31-03-2016 को 155 रुपये की राशि ऋणात्मक दर्शाई गयी है| जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन प्रतिभूति बिजली मीटर में अथवा किसी अन्य योजना से प्रतिभूति बिजली मीटर का भुगतान करने के फलस्वरूप है| इस चूक का नियामानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए विवरणी अनुपालना से अवगत करवाएं |

9 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना_:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

10 गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया| अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाये|

11 IWMP CASH BOOK

मूल बिल तथा रसीद अभिलेख में उपलब्ध न होना

वाउचर संख्या 19 मास 11/2014 राशि 50700 रुपये

उद्यान विभाग, देहरा से फलदार पौधों के क्रय करने के लिए 50700 रुपये का भुगतान किया गया परन्तु उक्त विभाग से प्राप्त किया गया मूल बिल तथा रसीद अभिलेख में उपलब्ध नहीं था जिसके अभाव में भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता| अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹50700 की वसूली संबन्धित से की जाए तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

12 अनुदान 1401762 रुपये का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1401762 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा

विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये|

13 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अवाभ में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता |इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है|

14 लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग के बारे में :-

आई डब्लू ऍम पी अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थियों के निर्माण कार्य यथा वाटर टैंक तथा अन्य कार्यों पर व्यय किया जाता है उनसे कुल व्यय राशि का 5% भाग प्राप्त करना तथा उसे ग्राम पंचायत के पास जमा करवाना था| अंकेक्षण अवधि के दौरान आई डबलू ऍम पी के लाभार्थि यों से कितनी राशि प्राप्त की गयी है , उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी और न ही उसकी जाँच की जा सकी| अत: इस बारे नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए|

15 <u>Assessment</u> Assessment के बिना भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट-3 पर दिये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹195648 का भुगतान assessmentके बिना किया गया| अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए assessment के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

16 मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :-

ग्राम पंचायत दरीण की मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गये कार्यों के मूल्य(AssessmentAAssessment) की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गयी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का न तो सत्यापन किया गया और न ही test check किया गया| अत: उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए|

17 अदायगी आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान करना ;-

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 49(1)व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद मे या चेक द्वारा कोई भी संद्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए सयुंक्तत ; हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता है| जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है| अत; नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिशित किया जाए|

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	मासिक समाधान विवरणी	15(1)	
4	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
5	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का	31	95(1)

रजिस्टर

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

19 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

20 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

21

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 8/2016–खण्ड–1–4741–4744 दिनाँक 03.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत दरीण, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

Assessment के बिना भुगतान करना परिशिष्ट पैरा संख्या के सन्दर्भ में

मनरेगा

बा. सं.	**मास**	**निर्माण कार्य का नाम**	**राशि**
30	11/2014	C/O Water tank in the house of Ram Singh	17248
5	6/2015	c/o well in land of Skindra Devi	8748
GENERAL CASH BOOK			
60	11/2014	c/o L/R from main road gagruhi Rajputan Brota to Jol	29756
52	6/2015	Repair of pucca rasta from main road to handpump vill. Chowki	26350
53	6/2015	Do	30800
57	6/2015	C/O Jeapable road from main road to house of Ram Singh	34496
60	6/2015	Do	48250
		Total	**195648**